आज अदालत .... बनाम ....

.... नम्बर ....

किस्म मुकदमा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
F.D हेतु सहमत Ghosh	अजय कुमार वगै0 बनाम बद्री प्रसाद वगै0 वाद संख्या 239/2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया । वकील वादीगण का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.06.2023 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/ खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से वकील उभय पक्ष सहमत है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ0डी0 किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे उभय पक्ष भी सहमत है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2024/3436 दिनांक 11.06.2024 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुताबिक हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:43:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner